न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्याः– 10 / 2017

प्रार्थीगण	बनाम	**अप्रार्थीगण**
1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर		1– पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति संघ जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 14(4), राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम, 1970 जो जिला कलक्टर जोधपुर एवं उपशासन सचिव / राजस्व ग्रुप–3 विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांकः4(575)राज / ग्रुप–3 / 76 दिनांक 15.02.1977 के तहत आंवटित भूमि खसरा सं0 103 व 105 रकबा 100 बीघा किस्म गै.मु. आगौर का आवंटन जिला कलक्टर जोधपुर क्रमांक सं. 908 दिनांक 4.03.1977 द्वारा पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति संघ जोधपुर के नाम से किया गया है उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु ।

उपस्थिति :– **आदेश दिनांक 14.02.18**

1– श्री रोशनलाल अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष)
2– प्रार्थी की ओर कोई उपस्थित नहीं

:– आदेश –:

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र वाक्यत इस प्रकार है कि तहसीलदार जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन)नियम, 1970 के तहत पेश करते हुए जाहिर किया कि वाके ग्राम पाल तहसील जोधपुर के खेत खसरा सं.103 व 105 किस्म गै.मु. आगोर संयुक्त रकबा 187 बीघा में से 100 बीघा भूमि अप्रार्थीपक्ष पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति संघ जोधपुर के द्वारा भूमि कॉफ रियरिंग सेन्टर के लिए आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन करने पर राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांकः4(575)राज. / ग्रुप–3 / 76 दिनांक 15.02.1977 के द्वारा स्वीकृति देने के पश्चात् कलक्टर जोधपुर द्वारा जरिये आदेश दिनांक 04.03.1977 के ग्राम पाल के खसरा नम्बर 103 व 105 गै.मु. आगोर की भूमि में से 100 बीघा भूमि

लगातार

आवंटन की गई तथा उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 09.05.1977 तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रार्थना–पत्र में आगे बतलाया गया कि उक्त आवंटन आदेश में आंवटित भूमि के संबंध में तय शर्तो की पालना डेयरी संघ द्वारा न कर आवंटित भूमि का दुरूपयोग किया है, प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति संघ जोधपुर को आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में दिये गये निर्णय व गाईड लाइन प्रतिबंधित भूमि के संबंध में की गई कानूनी व्याख्या के तहत आवंटन स्वतः ही निरस्त योग्य है तथा शर्तो का उल्लंघन करने से आवंटन आदेश निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के. गहलोत ने वकालतनामा पेश किया उसके पश्चात् अधिवक्ता श्री रोशनलाल, दिवाकर शर्मा ने वकालतनामा पेश किया गया।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 18.09.2017 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत O_7 R_{11} व्यवहार प्रकिया संहिता का पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थीपक्ष को उपलब्ध करवाई गई। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत O_7 R_{11} व्यवहार प्रकिया संहिता में व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अ/धा 14(4), राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आंवटन) नियम के तहत जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 14.03.1977 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। उक्त नियम के तहत जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थना–पत्र विधि से बाधित है तथा भूमि के संबंध में क्षेत्राधिकार भी जोधपुर विकास प्राधिकरण के पास है इसलिए सुनवाई का अधिकार नहीं है। प्रार्थना–पत्र बाधित होने एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थीपक्ष तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 13.11.17 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत O_7 R_{11} व्यवहार प्रकिया संहिता का जबाब पेश किया जिसमें जाहिर किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण श्रीमान् के क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं होकर विधि से बाधित बताया है जो उचित नहीं है। उक्त प्रकरण में न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर न्यायालय से संबंधित है। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की खातेदारी नहीं होने से प्रकरण न्यायिक क्षेत्राधिकार कलक्टर के न्यायालय से संबंधित है।

दिनांक 30.01.2018 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत O_7 R_{11} व्यवहार प्रकिया संहिता पर अप्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत O_7 R_{11} व्यवहार प्रकिया संहिता में वर्णित तथ्यों की ताईद करते हुए कहा कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अ/धा 14(4), राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आंवटन) नियम, के तहत जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 4.03.1977 के विरूद्ध

लगातार

प्रस्तुत किया गया। उक्त नियम के तहत जिला कलक्टर/राज्य सरकार के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। बहस में आगे कहा कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत भूमि आवंटन की गई हो तथा उनकी शर्तो का उल्लंघन होने पर नियम 14(4) के तहत आवंटन/नियमन आदेश निरस्त करने का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर को है अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विधि से बाधित है तथा भूमि के संबंध में क्षेत्राधिकार भी जोधपुर विकास प्राधिकरण के पास है इसलिए सुनवाई का अधिकार नहीं है। प्रार्थना–पत्र बाधित होने एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 का भी अध्ययन किया। पत्रावली के संलग्न फोटो प्रति दस्तावेजात का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्रांक प(575)राज/ग्रुप–3/76 दिनांक 15.02.1977 के द्वारा स्वीकृति के पश्चात् कलक्टर कार्यालय जोधपुर के आदेश कमांक/राजस्व/908 दिनांक 04.03.1977 के द्वारा विभिन्न शर्तो के साथ पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति संघ जोधपुर को आवंटन की गई। क्या राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् कलक्टर कार्यालय से आवंटन आदेश राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है या नहीं, तय किया जाना है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 13 (1) के अनुसार भूमि आवंटन उपखण्ड अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति के परामर्श से किया जाता है। सलाहकार समिति में संबंधित विधानसभा सदस्य, अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति का प्रधान, विकास अधिकारी, सरपंच, तहसीलदार और अन्य नियुक्त व्यक्ति सदस्य होते है। नियम 14(4) के स्पष्ट किया गया कि " उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा निरसण नियम 21 के नियमों के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्व प्रस्ताव से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्ध करने की जिलाधीश की शक्ति होगी यदि आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्ध किया गया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में से किसी भी शर्त की भंग किया हो "

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत गठित सलाहकार समिति के परामर्श पर न किया जाकर, राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश पर विवादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया। राज्य सरकार की स्वीकृति पर जिला कलक्टर के आवंटन आदेश में वर्णित शर्तो का उल्लंघन होने पर नियम 14(4) के तहत निरस्त करने के अधिकार क्षेत्र में नही आता है। मेरी विनम्र राय में ऐसे आवंटन का निरस्त करने का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार को है। अतः

लगातार

प्रार्थीपक्ष विवादित भूमि के आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होने से क्षुब्ध है तो उन्हें राज्य सरकार के समक्ष चाराजोई करनी चाहिए, परिणामस्वरूप अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत O_7 R_{11} व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रकरण में विधि से बाधित होने से निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।